भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4058

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2024

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत पहलें

4058. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:

श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत की गई प्रमुख पहलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त पहलों के वित्तपोषण और कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना का और विस्तार करने का है जिसका उद्देश्य जनजातीय समाज का समग्र कल्याण करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) त्रिपुरा में अब तक इस योजना से लाभान्वित होने वाले जनजातीय लोगों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) देश में, विशेषकर त्रिपुरा में जनजातीय विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): 'प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई)' की छत्रछाया (अम्ब्रेला) में जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय समुदायों के विकास और कल्याण के लिए नीचे दिये गये अनुसार 6 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू (क्रियान्वित) कर रहा है:

i. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)
ii. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास/प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)
iii. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता
iv. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
v. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
vi. पीएमयू की स्थापना के लिए राज्यों को प्रशासनिक सहायता।

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के घटकों का विवरण:

i. 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' का लक्ष्य 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले 36,428 गांवों का एकीकृत विकास करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रति गांव 20.38 लाख रुपये (36,428 गांवों के लिए 7276 करोड़ रुपये) की राशि का योगदान दिया गया है और राज्यों को क्षेत्रीय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार के पास उपलब्ध केंद्रीय एसटीसी (अनुसूचित जनजाति घटक) और राज्य टीएसपी (जनजातीय उपयोजना) निधियों के अभिसरण के साथ ग्राम विकास योजना बनाना आवश्यक है। आज तक 17,656 वीडीपी को मंजूरी दी गई है और कुल 2357.50 करोड़ रुपये धनराशि की निधियां जारी की गई हैं। 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) शुरू किया गया है, जो संबंधित मंत्रालयों और

राज्य विभागों के प्रमुख उपायों के लिए निधियों और संतृप्ति के समर्पित अभिसरण के साथ पीएमएएएजीवाई का अधिक संरचित संस्करण है। डीए-जेजीयूए पीएमएएजीवाई के अंतर्गत कवर किए गए गांवों सहित 63,843 गांवों को कवर करेगा। पीएमएएजीवाई में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

ii. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (कक्षा IX-X के लिए) और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (XI से आगे) दो केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिनको राज्यों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ये खुली योजनाएं (ओपन एंडेड) हैं और प्रत्येक अनुसूचित जनजाति का छात्र जिसके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, इसके लिए पात्र है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर, जहां यह 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

iii. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 2023-24 में शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किए जाने की योजना बनाई गई है

iv. टीआरआई को सहायता: इस योजना का मूल उद्देश्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं, अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण गतिविधियों में मजबूत बनाना है।

v. प्रशासनिक लागत के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने के लिए वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।

(ख) तथा (ग): वित्त चक्र 2021-22 से 2025-26 के लिए 26135.46 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई) की अम्ब्रेला योजना को अनुमोदन दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजनाओं में जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	निर्मुक्त निधियां		
		2021-22	2022-23	2023-24
1.	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	78152.21	135186.00	14993.00
2.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास / पीएम जनमन	16000.00	13717.93	9999.00
3.	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	6000.00	1240.26	4353.17
4.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	39414.00	35730.00	30860.00
5.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	225772.00	196465.00	266883.00
6.	पीएमयू की स्थापना के लिए राज्यों को प्रशासनिक सहायता।	0.00	400.00	842.00

अम्ब्रेला योजना का दायरा काफी हद तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि डीएपीएसटी के तहत क्षेत्रीय मंत्रालयों के पास उपलब्ध निधियों से जनजातीय परिवारों और गांवों के व्यापक विकास के लिए पीएम जनमन और डीए-जेजीयूए को क्रमशः 15.11.2023 और 2.10.2024 को शुरु (लॉन्च) किया गया है। पीएम जनमन में 24,104 करोड़ रुपये (2023-24 से 2025-2026 तक) का बजट आवंटित किया है और डीए-जेजीयूए में 79,156 करोड़ रुपये (2024-25 से 2028-29) का बजट आवंटित किया है। अगले वित्त चक्र के लिए, निरंतरता/विस्तार व्यय वित्त समिति और मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए व्यय विभाग द्वारा अनुमोदित तंत्र के अनुसार किया जाता है।

(घ): जैसा कि भाग (क) के उत्तर में, ऊपर उल्लेख किया गया है, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (कक्षा IX-X के लिए) और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (XI से आगे) खुली (ओपन एंडेड) योजनाएँ हैं। इन 2 योजनाओं के तहत प्रत्येक वर्ष औसतन 30 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होते हैं। लाभार्थियों की संख्या, वितरित निधि और अन्य प्रमुख मापदंडों के संबंध में राज्यों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों को एकत्रित, संकलित और मंत्रालय के डैशबोर्ड (dashboard.tribal.gov.in) पर अपलोड किया जाता है, जिसे विवरण के लिए कृपया देखा जा सकता है।
धरती आबा जेजीयूए का उद्देश्य 63,843 गांवों में रहने वाली 5.38 करोड़ की आबादी को कवर करना है। पीएम जनमन का उद्देश्य लगभग 29,000 बस्तियों में रहने वाले 11 लाख पीवीटीजी परिवारों को कवर करना है। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता और राज्यों को प्रशासनिक सहायता के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्रमशः विभिन्न विकास गतिविधियों/अनुसंधान कार्यों को करने और पीएमयू की स्थापना के लिए बजटीय आवंटन दिया जाता है। डीए-जेजीयूए के अंतर्गत कवर किए गए अजजा के साथ त्रिपुरा सहित जिलों और गांवों की संख्या की राज्य-वार सूची दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक - 1** में है।

(ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के तहत कार्यान्वित 6 योजनाओं के अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय 6 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहा है और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों को अनुदान भी दे रहा है, जिन्हें त्रिपुरा राज्य सहित देश में जनजातीय विकास के लिए भी कार्यान्वित किया जाता है, **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को क्रियान्वित (लागू) कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। डीएपीएसटी निधियों का मंत्रालय-वार और योजना-वार ब्यौरा https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf पर केंद्रीय बजट दस्तावेज़ के विवरण 10बी में उपलब्ध है।

'प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत पहलें' के संबंध में दिनांक 19.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4058 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 1

डीए-जेजीयूए के अंतर्गत शामिल अजजा के साथ त्रिपुरा सहित जिलों और गांवों की संख्या की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले की संख्या	ब्लॉक की संख्या	गांवों की संख्या	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति %
1	आंध्र प्रदेश	18	107	**878**	1113652	655450	58.86
2	अरुणाचल प्रदेश	23	84	**329**	272750	230896	84.65
3	असम	32	147	**3161**	2779667	2124774	76.44
4	बिहार	24	74	**771**	1783928	407136	22.82
5	छत्तीसगढ़	32	138	**6691**	6967289	4909442	70.46
6	गोवा	2	9	**25**	47144	34105	72.34
7	गुजरात	21	102	**4265**	7675215	6605912	86.07
8	हिमाचल प्रदेश	10	26	**270**	170351	117040	68.71
9	जम्मू और कश्मीर	20	112	**393**	792087	502935	63.49
10	झारखंड	24	231	**7139**	7044011	4976859	70.65
11	कर्नाटक	28	129	**1089**	1975186	805566	40.78
12	केरल	4	9	**89**	1322280	219524	16.60
13	लद्दाख	2	30	**143**	163981	155238	94.67
14	लक्षद्वीप	1	2	**2**	9868	9322	94.47
15	मध्य प्रदेश	51	267	**11377**	13186399	9323125	70.70
16	महाराष्ट्र	32	214	**4975**	6347798	4694682	73.96
17	मणिपुर	13	57	**516**	666137	629332	94.47
18	मेघालय	12	53	**1437**	1183736	1135901	95.96
19	मिजोरम	11	26	**383**	414444	400652	96.67
20	नागालैंड	16	74	**608**	956721	915742	95.72
21	ओडिशा	27	234	**7667**	7042261	4815670	68.38
22	राजस्थान	30	208	**6019**	7655043	5537444	72.34
23	सिक्किम	6	26	**119**	123635	72682	58.79
24	तमिलनाडु	16	36	**248**	489153	303711	62.09
25	तेलंगाना	30	230	**924**	1691305	1150538	68.03
26	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	2	2	**76**	203454	147290	72.39
27	त्रिपुरा	8	52	**392**	988452	828393	83.81
28	उत्तर प्रदेश	26	47	**517**	1183202	311488	26.33
29	उत्तराखंड	7	15	**128**	209384	88723	42.37
30	पश्चिम बंगाल	21	170	**3212**	3974631	1707342	42.96
	कुल योग	**549**	**2911**	**63843**	**78433164**	**53816914**	**68.61**

अनुलग्नक -II

'प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत पहलें' के संबंध में दिनांक 19.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4058 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक - II

(i). संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है।

(ii) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान: इस योजना के तहत मंत्रालय आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, मोबाइल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, आजीविका आदि को शामिल करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

(iii) अजजा उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: यह योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष कुल 20 पुरस्कार दिए जाते हैं।

(iv) अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (उच्च श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]: इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित देश भर में 265 उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में भी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए मेधावी अजजा छात्रों को प्रोत्साहित करना है।

(ख) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: एमफिल और पीएचडी के लिए भारत में उच्चतर अध्ययन करने हेतु अजजा छात्रों को प्रत्येक वर्ष 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी मानदंडों के अनुसार दी जाती है।

(v) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की योजना शुरू की गई थी। 2018-19 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इन छात्रों पर भोजन, वर्दी, किताबें आदि सहित आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए प्रति छात्र 1.09 लाख रुपये प्रति वर्ष की राशि जारी की जाती है। ईएमआरएस की स्थापना के लिए, मंत्रालय द्वारा मैदानी क्षेत्रों में प्रति स्कूल 37.80 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में प्रति स्कूल 48 करोड़ रुपये की निर्माण लागत जारी की जाती है।

(vi) प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): "प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)" योजना को 1612.27 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदन दिया गया और इसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहलों को मजबूत करना और अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग, कृषि / एनटीएफपी / गैर-कृषि उद्यमों को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना है।

(vii) जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा: इस योजना के माध्यम से, समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन करना, सूचना का प्रसार करना और जागरूकता सृजित करना जैसी विभिन्न गतिविधियाँ की जाती हैं।

*****